

मृत्युदंड पर SC का संदर्भ

प्रलिस के लयः

मृत्युदंड, भारतीय दंड संहतल, बचन सहल बनाम पंजाब राज्य ।

मेन्स के लयः

भारत में मृत्युदंड के पक्ष और वरलध में तरक, मृत्युदंड पर SC का संदर्भ ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने एक बड़ी बेंच को मृत्युदंड देने के मानदंडों से संबंधतल मुद्दों को संदर्भतल कयल है ।

न्यायालय का आदेशः

- सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ का वर्तमान संदर्भ में पाँच-न्यायाधीशों की पीठ में रूपांतरण इस तरक पर आधारतल है कएक ही दनल में सज़ा की प्रकरयल आरोपी के खललफ नरलशाजनक रूप से झुकी हुई है ।
- पीठ ने कहा कल राज्य को मुकदमे की पूरी अवधलके दौरान अभयुक्तों के खललफ आपत्तजनक परसलथतलथल को पेश करने का अवसर दयल जाता है ।
- दूसरी ओर, आरोपी अपनी दोषसदलधलके बाद ही अपने पक्ष में परसलथतलथल को कम करने वाले साक्ष्य पेश करने में सक्षम होते हैं ।

मुद्दाः

- सज़ा की सुनवाई कब और कैसे होनी चाहयल, इस पर परस्पर वरलधी नरलणय हैं ककयल सज़ा के नरलधारण पर कार्यवाही नरलणय के दनल ही होनी चाहयल या कुछ दनल बाद ।
- यह मुद्दा उन लोगों को अरथपूर्ण अवसर देने से संबंधतल है जो मृत्युदंड के दोषी पाए गए हैं और वे मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास के संबंध में बेहतर दलील जैसे कारकों और परसलथतलथल को पेश कर सकें ।
- मुद्दा कानूनी आवश्यकता से उत्पन्न होता है कजब भी कोई न्यायालय दोषसदलधलदरज करता है, तो उसे सज़ा के स्तर को लेकर अलग से सुनवाई करनी होती है ।

कानून और नरलणय क्या हैं?

- **दंड प्रकरयल संहतल (CrPC)** की धारा 235 के अनुसार, यदलआरोपी को दोषी ठहरायल जाता है, तो न्यायाधीश सज़ा के सवाल पर आरोपी की सुनवाई करेगा और फरल सज़ा सुनाएगा ।
 - यह प्रकरयल तब महत्त्वपूर्ण हो जाती है, यदलदोषसदलधलकलसी ऐसे अपराध के लयल है जसलमें मृत्यु या आजीवन कारावास शामिल है ।
- धारा 354(3) के अनुसार, मृत्युदंड या आजीवन कारावास के मामले में नरलणय में यह बताना होगा कसज़ा क्यों दी गई ।
- यदलसज़ा, मृत्युदंड है तो नरलणय में "वशलष कारण" प्रदान करना होगा ।
- 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने '[बचन सहल बनाम पंजाब राज्य](#)' में मृत्युदंड की संवैधानकलता को इस शर्त पर बरकरार रखा कयल सज़ा "दुरलभतम" मामलों में दी जाएगी ।
 - महत्त्वपूर्ण रूप से न्यायालय ने यह भी ज़ोर दयल कसज़ा की सुनवाई अलग से होगल, जहाँ एक न्यायाधीश को इस बात पर राजी करने की कोशलषल की जाएगी कलमृत्युदंड क्यों नहीं दयल जाना चाहयल ।
- न्यायालय के कई बाद के फैसलों में इस स्थतलतल को दोहरायल गया थल, जसलमें 'मटू बनाम पंजाब राज्य', 1982 में पाँच न्यायाधीशों की बेंच ने अनवरलर्य मृत्युदंड को खारज कर दयल थल, क्योंकि यह सज़ा देने से पहले कलसी आरोपी के सुनवाई के अधकलर का उल्लंघन करता है । .

नरलणय के दनल ही सज़ाः

- भले ही सभी मुकदमों में सज़ा पर एक अलग सुनवाई का अभ्यास किया जाता है, लेकिन अधिकांश न्यायाधीश ऐसे मामले को दोबारा नरिणय के लिये भविष्य की तारीख के लिये स्थगति नहीं करते हैं।
- जैसे ही 'दोषी' पर फैसला सुनाया जाता है, न्यायालय दोनों पक्षों के वकील से सज़ा पर बहस करने के लिये कहता है।
- एक वचिार है कि मृत्युदंड संबंधी नरिणय 'एक ही दिन में देने' से प्रतविादी को अपर्याप्त समय मलिता है और यह प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है क्योंकि दोषियों की सज़ा को कम करने वाले कारकों को इकट्ठा करने के लिये पर्याप्त समय नहीं मलिता है।
- नरिणयों की एक शृंखला में सर्वोच्च न्यायालय ने वकालत की है कि सज़ा की सुनवाई अलग से की जाए, यानी दोषसिद्धि के बाद भविष्य की तारीख में।
- हालाँकि एक तरह के वशिधाभास के रूप में कई नरिणयों ने 'एक ही दिन' सज़ा देने की प्रथा को बरकरार रखा है।

संभावति परणाम:

- सज़ा के नरिणय संबंधी परस्थितियों और कारकों पर संवधान पीठ व्यापक दशिा-नरिदेश नरिधारति कर सकती है।
- सर्वोच्च न्यायालय ट्रायल कोर्ट के लिये सज़ा सुनाने से पहले आरोपी को बेहतर तरीके से जानना ज़रूरी बना सकता है।
- न्यायालय मनोवैज्ञानिकों और मनोवशि्लेषणात्मक वशि्लेषज्जों की मदद का मसौदा तैयार कर सकता है।
 - सज़ा प्रक्रिया के हसिसे के रूप में आरोपी के बचपन के अनुभवों और पालन-पोषण, परिवार का मानसकि स्वास्थ्य इतिहास एवं दरदनाक अतीत के अनुभव तथा अन्य सामाजकि एवं सांस्कृतकि कारकों की संभावना का अध्थयन करना अनविार्य हो सकता है।
- इसका मतलब यह हो सकता है कि ट्रायल कोर्ट को वर्तमान कार्य प्रणालियों के वशिरीत बेहतर तरीके से सूचति कया जाएगा, जब केवल बुनियादी डेटा जैसे कि शैक्षकि और आर्थकि स्थति कि पता लगाने से पहले सज़ा सुनाई जाती है।

मृत्युदंड:

- मृत्युदंड सज़ा का कठोरतम रूप है। यह दंड मानवता के वरिद्ध नृशंस और जघन्य अपराधों के लिये दया जाता है।
 - **भारतीय दंड संहति** के तहत वे कुछ अपराध, जनि के लिये अपराधियों को मौत की सज़ा दी जा सकती है:
 - हत्या (धारा 302)
 - डकैती (धारा 396)
 - आपराधकि षड्यंत्र (धारा 120B)
 - भारत सरकार के वरिद्ध युद्ध या युद्ध का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना (धारा 121)
 - वदिरोह का उन्मूलन (धारा 132) और अन्य।
- मृत्युदंड के लिये 'डेथ पेनाल्टी' और 'कैपिटल पनशिमेंट' शब्द का इस्तेमाल एक-दूसरे के स्थान पर होता रहा है, हालाँकि हमेशा ही अनविार्य रूप से इस दंड का कर्णान्वयन नहीं होता है। इसे **भारतीय संवधान के अनुच्छेद 72** के तहत **राष्ट्रपति द्वारा आजीवन कारावास या कृषमा में रूपांतरति** कया जा सकता है।
- **आगे की राह**
 - सुनवाई इस बहस को प्रभावी ढंग से सुलझाएगी कि क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की सज़ा देने वाली तीव्र सुनवाई- कुछ मामलों में कुछ दिनों में- कानूनी रूप से मान्य है।
 - मौत की सज़ा का नरिधारण करने वाले मानकों के स्तर को बढ़ाने की दशिा में भी यह फैसला एक महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है।
 - सज़ा का उद्देश्य केवल अपराधी को खत्म करना नहीं बल्कि अपराध को समाप्त करने पर भी होना चाहिये। आपराधकि कानून में सज़ा का उद्देश्य, यदिव्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक व्यवस्थति समाज के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अपराधी और पीड़ति के अधिकारों को संतुलति करके शांतिबिहाली सुनिश्चति करने और भविष्य में होने वाले अपराधों को रोकने की आवश्यकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. मृत्युदंड की सज़ा को कम करने में राष्ट्रपति की देरी के उदाहरण न्याय से इनकार के रूप में सार्वजनिक बहस का मुद्दा रहे हैं। क्या ऐसी याचिकाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने हेतु राष्ट्रपति के लिये कोई समय-सीमा नरिधारति होनी चाहिये? वशि्लेषण कीजयि। (2014)

स्रोत: द हिंदू